

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने

पटना-800001

सूचना

न्याय आपके द्वारा कार्यक्रम में अन्तर्गत विभिन्न जिलों के सूदूरवर्ती क्षेत्रों में समय-समय पर चलंत लोक अदालत भेजा जाता है। जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी के अतिरिक्त विधिक सेवाओं में रूचि रखने वाले एक अधिवक्ता एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता/विधि छात्र को भेजा जाता है।

चलंत लोक अदालत के न्यायिक एवं गैर न्यायिक सदस्यों को किसी प्रकार का वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है परन्तु उनके आकस्मिक खर्चों के लिए मानदेय का निर्धारित दर पर भुगतान किया जाता है।

इस संबंध में, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम 30(4)(ज) के तहत सदस्यों का सूचिबद्धता माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अनुमोदन के आध्याधीन होगी। सूची को तीन वर्षों पर पुनरीक्षण किया जायेगा।

चलंत लोक अदालत में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में सूचना प्रकाशित तिथि से 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र के साथ अपना बायोडाटा एवं अनुभव प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं अथवा ई-मेल पर भेज सकते हैं। तदनुसार नियमानुकूल 3 वर्षों के लिए उनको सूचिबद्ध किया जायेगा।

Sunil Datta Mishra

(सुनील दत्त मिश्रा)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
पटना

क्र०सं०	पद का नाम	योग्यता/अनुभव	मानदेय
1	सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी	कोई उम्र सीमा नहीं परन्तु शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति	बि०रा०वि०से०प्रा० के द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय देय होगा
2	गैर न्यायिक अधिवक्ता सदस्य	न्यूनतम 5 वर्षों का वकालत का अनुभव	तथैव
3	गैर-न्यायिक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य	सामाजिक कार्य में अभिरूचि रखने से संबंधित प्रमाण-पत्र	तथैव
4	विधि संकाय छात्र	प्राचार्य से अग्रसारित आवेदन-पत्र	तथैव



बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने, पटना-800001

बिहार सरकार

दैनिक जागरण सूचना 21/06/2020

न्याय आपके द्वारा कार्यक्रम में अन्तर्गत विभिन्न जिलों के सूदूरवर्ती क्षेत्रों में समय-समय पर चलंत लोक अदालत भेजा जाता है। जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी के अतिरिक्त विधिक सेवाओं में रुचि रखने वाले एक अधिवक्ता एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता/विधि छात्र को भेजा जाता है।

चलंत लोक अदालत के न्यायिक एवं गैर न्यायिक सदस्यों को किसी प्रकार का वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है परन्तु उनके आकस्मिक खर्चों के लिए मानदेय का निर्धारित दर पर भुगतान किया जाता है।


इस संबंध में, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम 30(4)(ज) के तहत सदस्यों का सूचिबद्धता माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अनुमोदन के आध्याधीन होगी। सूची को तीन वर्षों पर पुनरीक्षण किया जायेगा।

चलंत लोक अदालत में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में सूचना प्रकाशित तिथि से 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र के साथ अपना बायोडाटा एवं अनुभव प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं अथवा ई-मेल पर भेज सकते हैं। तदनुसार नियमानुकूल 3 वर्षों के लिए उनको सूचिबद्ध किया जायेगा।

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता/अनुभव	मानदेय
1	सेवानिवृत न्यायिक पदाधिकारी	कोई उम्र सीमा नहीं परन्तु शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति	बि०रा०वि०से०प्रा० के द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय देय होगा
2	गैर न्यायिक अधिवक्ता सदस्य	न्यूनतम 5 वर्षों का वकालत का अनुभव	तथैव
3	गैर-न्यायिक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य	सामाजिक कार्य में अभिरुचि रखने से संबंधित प्रमाण-पत्र	तथैव
4	विधि संकाय छात्र	प्राचार्य से अग्रसारित आवेदन-पत्र	तथैव

PR No. 0002714(Law)2020-21

(सुनील दत्त मिश्रा) सदस्य सचिव
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना

नोवल कोरोना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं सहयोग हेतु  Toll Free No.: **104** पर संपर्क कर सकते हैं।

किसी भी तरह आपदा की जानकारी अथवा सुझाव हेतु आपदा पंथन के हेल्पलाइन नं. 1070 पर सम्पर्क किया जा सकता है।